न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 2/2022
जीसीएमएस : 2022/72

01. दलीपचन्द्र पुत्र श्री मनीराम जाति जाट साकिन खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर हाल निवासी कीकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर राज.।
प्रार्थी

बनाम

01. शलेन्द्रकुमार उर्फ सुरेन्द्रकुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट साकिन किकरवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
02. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।
03. जगदीशचन्द्र पुत्र मदनलाल जाति रामदासिया निवासी वार्ड नं. 6 पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज.।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–17.01.2022

उपस्थितः 1.श्री संदीप जोशी प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्री अजीतकुमार अप्राथी सं. 1 अधिवक्ता।
3. श्री मनिन्द्र कुमार अप्रार्थी सं. 3 अधिवक्ता।

––निर्णय–– दिनांक 20.11.2024

01.संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी जोत वाके चक 8 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के मु. नं. 63 पं.नं. 179/280 के कि.नं. 1 ता 5, 19 ता 22 सालम–सालम कुल 3. 289 है. नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो प्रार्थी के कब्जा काश्त है। अप्रार्थी के चक 8 पीएस तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 63 पं.नं. 179/280 के कि.नं. 6 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 सालम–सालम कुल 3.036 है. नहरी भूमि मे से कि.नं. 23–24–25 प्रत्येक में से 1–1 बिस्वा दक्षिणी पाशा में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। अतः चक 8 पीएस तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 63 पं.नं. 179/280 के कि.नं. 23–24–25 के दक्षिणी पाशा में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे रास्ता में आने वाली भूमि के बराबर भूमि देने या भूमि के डी.एल.सी. दर अथवा बाजार भाव के बराबर कीमत अदा करने के लिए प्रार्थी सहमत है इसलिए मु.नं. 63 पं.नं. 179/280 के कि.नं. 23–24–25 के दक्षिणी पाशा में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

02.प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 की तरफ से श्री अजीतकुमार अधिवक्त ने वकालनामा के साथ जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें अंकित किया है कि प्रस्तावित वांछित रास्ता कतई सरल, सुगम व सुविधाजनक नहीं है प्रार्थी द्वारा आवेदन के साथ अन्य वैकल्पिक रास्ता के संबंध में कोई नजरी नक्शा पेश नही किया ना ही कोई उल्लेख आवेदन में न कर सही तथ्यों व मौका की वस्तुस्थिति को छिपया गया है। इसलिये आवेदन प्रार्थी [illegible] आपत्तियां में अंकित किया है कि आवेदक द्वारा चाहा गया रा[illegible] सरल, सुगम व सुविधाजनक नहीं है। आवेदक [illegible] 9 पीएस की सीमा से सटता है और पक्षकारान के मुरब्बा नं. 63 के [illegible] सटते पश्चिम दिशा में चक 9 पीएस का रास्ता [illegible] रास्ता उपलब्ध है जो गांव 9 पीएस [illegible] रायसिंहनगर से जुड़ता है। इस प्रकार पक्षकारान के मुरब्बा नं. 63 के [illegible] सटते पश्चिम दिशा के रकबा के कि.नं. 1 ता 5 तक रास्ता उपलब्ध होने पर आवेदक के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.11 16:13:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

अन्य कई काश्तकारों को लाभ होकर काश्तकार पक्की आम सड़क रायसिंहनगर–श्रीगंगानगर से जुड़ने से खेत से कृषि उपज की मण्डी तक पहुचं आसान हो जायेगी,इस प्रकार प्रस्तावित रास्ता की अपेक्षा उक्त रास्ता सरल, सुगम, सुविधाजनक है मगर आवेदक ने जानबुझकर यह तथ्य छिपाये है और मौका का विस्तृत नक्शा व तथ्य पेश नहीं किये है। इसलिये मौका की विस्तृत स्थिति व तथ्य की जांच करवा जांच रिपोर्ट मय नक्शा सहित मंगवाया जाकर प्रकरण का निरतारण किया जाना न्यायोचित होगा। मिन अनावेदक के रकबा के कि.नं. 23 से 25 में कभी रास्ता चालू नहीं रहा है न ही मौका पर चालू है न दिया जाना सुसंगत व सुविधाजनक ही है बल्कि प्रार्थी ने मिन अनवादेक को नाहक हेरान–परेशान करने के आशय से ही प्रकरण पेश किया है। इसलिए आवेदन चलने योग्य नहीं है फिर भी माननीय न्यायालय प्रार्थी को रास्ता पाने का पा. माने तो मौका की विस्तृत जांच कर जांच रिपोर्ट मय नक्शा मंगवाया जाकर आवेदन का निस्तारण फरमावे, अगर माननीय न्यायालय प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प होना न पाये तो उस दशा में मिन अनावेदक की भूमि की कीमत भूमि प्रार्थी के कि.नं. 5 में मिन अनावेदक के रकबा से चिपते दिलायी जाना न्यायचित है। अतः जवाब आवेदन मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि आवेदन प्रार्थी अस्वीकार फरमाया जाकर आवेदन खारिज फरमाया जावे।

03. प्रार्थी दलीपकुमार द्वारा दिनांक 24.01.2023 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा अन्तर्गत 151 सीपीसी पेश किया। जिस प्रार्थना पत्र. का जवाब अप्रार्थी ने दिनांक 25.04.2024 को पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व 151 सीपीसी को दिनांक 12.06.2024 को स्वीकार किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अप्रार्थी सं. 3 के रूप में जगदीशचन्द्र पुत्र मदनलाल को नियुक्त किया। अप्रार्थी सं. 3 की तरफ से श्री मनिन्द्रकुमार अधिकवक्ता ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है अप्रार्थी के नाम से वाके चक 9 पीएस के मु.नं. 62 पं.नं. 179/281 में कि.नं. 5 में उतरी पूर्वी कूंट में 8 गुणा 8 फुट रास्ता प्रार्थी को स्वीकृत किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई उजर एतराज नहीं है तथा ना ही इस सम्बन्ध में कोई विवाद भविष्य में करूंगा। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मुझ अप्रार्थी की भूमि वाके चक 9 पीएस के मु.नं. 62 पं.नं. 179/281 के कि.नं. 5 में उत्तरी पूर्वी कूंट में 8 गुणा 8 फुट रास्ता प्रार्थी को स्वीकृत किया जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उस के उपरान्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रकरण में सिफ चक 9 पीएस सहबन से रह गया है व उक्त रास्ता भी चक 9 पीएस के मु.नं. 63 से ही आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र में 63
अप्रार्थी जगदीश चन्द्र की भूमि वाके चक 9 पीएस को शामिल किया जावे। जिसमें प्रार्थी को कोई ऐतराज नहीं है।

04. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांकः राजरव/23/529 दिनांक 20.02023 से अवगत करवाया कि प्रार्थी दलीपकुमार पुत्र मनीराम जाति जाट साकिन किकरवाली के नाम चक 8 पीएस के प.नं. 179/280 मु.नं. 63 कि.नं. 1 ता 5, 9 ता 12, 19 ता [illegible] रिकार्ड है। इस रकबा में आवागमन हेतु स्वीकृत रास्ता नहीं [illegible] दीपचन्द ने इसी मु.नं. 63 के कि.नं. 23–24–25 के [illegible] की मांग की हैं वादी मौके पर अपने खेत [illegible] 36 के कि.नं. [illegible] 25 में से आ जा रहा है। वादी द्वारा की गई [illegible] श्रेणी में आती है। वादी द्वारा की [illegible] धा के लिए की गई है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा [illegible] छित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। प्रार्थी द्वारा मु.नं. 63 के कि.नं. 23–24–25 में 1–1 बिस्वा रास्ते की

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.11 16:13:10 IST
Reason: SelfAttested

मांग की गई है। लेकिन इस रास्ता को सार्वजनिक रास्ता से जोडने के लिए चक 9 पीएस के मु.नं. 62 के कि.नं. 5/.002 है. के उत्तरी–पूर्वी कोने की आवश्यकता रहेगी वादी द्वारा वाद पत्र में इस कोने की मांग नहीं की गई है। वादी एवं प्रतिवादी दोनो सगे भाई है और एक ही मु.नं. 63 के काश्तकार है। वादी के रकबा हेतु रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चक 8 पीएस मु.नं. 63 के कि.नं. 23–24–25 में 1–1 बिस्वा तथा चक 9 पीएस के मु.नं. 62 के कि.नं. 5/.002 है. (उत्तरी पूर्वी कोना) गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। रास्ता की भूमि के बदले में प्रतिवादी शैलेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र कुमार चक 8 पीएस में मु.नं. 63 में उसकी भूमि के चिपते हुए वादी द्वारा रकबा दिया जाना तथा चक 9 पीएस के मु.नं. 62 के कि.नं. 5/.002 है. रास्ता के बदले डीएलसी की दुगुनी दर से भुगतान किया जाना उचित होगा।

05. बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है रास्ते के बदले प्रार्थीगण राज्य सरकार के नियमानुसार राशि का भुगतान भी कर सकते है। अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को मु.नं. 62 के कि.नं. 5 में रास्ता स्वीकृत करवाने के उपरान्त ही अपने रकबा में पहुच सकता है प्रार्थी द्वारा रास्ता की मांग सही तरीके से नहीं की गई है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने मु.नं. 62 के कि.नं. नं. 5 में 15 गुणा 16–1/2 फुट रास्ता देने हेतु जवाब प्रार्थना पत्र सहमति अंकित की है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य मु.नं. 63 के कि.नं. 25–16–15–6 में 2–2 बिस्वा भूमि के बदले भूमि देने पर सहमति दी है प्रार्थी ने भी मु.नं. 63 के कि.नं. 5 में रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि देने हेतु अपनी सहमति दीं। उक्त सहमति पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के साथ अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी सहमति दी है।

06. हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष, की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं उपतहसीलदार मुकलावा के स्वयं मौका निरीक्षण की बिन्दूबार रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। स्वयं के मौका निरीक्षण, तहसीलदार उपतहसीलदार, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि चक 8 पीएस के मु.नं. 63 के कि.नं 25–16–15–6 व मु.नं. 62 के कि.नं. 5 में 15 गुणा 16–1/2 फुट रास्ता स्वीकृत होने पर हीं आवागमन कर सकते है।स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में प्रवेश के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थीगण द्वारा की गई रास्ते की मांग अतिआवश्यक है और प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा मात्र के नहीं है। यह प्रार्थीगण की आत्यांतिक श्रेणी में आता है। उक्त वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की [illegible] मौका जांच एवं तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना प[illegible] प्रार्थी का स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना [illegible] प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 [illegible] होने से स्वीकार किया जाकर **चक 8 पीएस मु.नं. 63 के कि.न. 25–16–15**[illegible] 2–2 बिस्वा व मु.नं. 62 के **कि.नं. 5 में 15 गुण 16–1/2 गैरमुमकिन रास्ता** दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.11 16:13:10 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

है। अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि मु.नं. 63 के कि.नं. 25–16–15–6 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा कुल 8 बिस्वा भूमि के बदले अप्रार्थी को प्रार्थी के मु.नं. 63 के कि.नं. 5 से 8 बिस्वा भूमि कम की जावे। इस के उपरान्त ही गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला अनूपगढ़, राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला अनूपगढ़, राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.12.11 16:13:10 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner